

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी देवेन्द्र सिंह विपक्षी दुर्लभ सिंह
 क्रम मुकदमा 212/2024 पत्रावली संख्या 105/12 सन _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>18/11/24 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वेदरा TI</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>वेदरा वादी की शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>29/1/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p> <p>29/1/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वेदरा TI</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>वेदरा वादी की शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>28/4/25</u> को पेश हो। SDO मावली</p> <p>28/4/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्ता-गण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शाक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अदकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>19/5/25</u> को पेश हो। B10</p> <p>19/5/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वेदरा TI</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>वेदरा वादी की शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>21/5/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p> <p>21/5/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>वेदरा TI</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>वेदरा वादी की शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>25/6/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p>



25/8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 5/8/25 को पेश हो।

210
2

5/8/25

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. 25/8/25

के लिये मौक़ा चाहते है। अतः 25/8/25

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 25/8/25
को पेश हो।

(SDO) नावली

25/8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 8/9/25 को पेश हो।

210
2

08/9/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमय पक्षकारान
अनुपस्थित। अधिवक्ता उमय पक्षकारान को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके है।
अधिवक्ता उमय पक्षकारान अब तक अनुपस्थित है। पत्रावली
के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में एट्स टी.आई. में लिखित
है। उमय पक्षकारान को एट्स हेतु लगभग 4 वर्ष से अडिक्ट
का समय दिया गया था परन्तु उमय पक्षकारान द्वारा अब
तक एट्स नहीं की गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि
उमय पक्षकारान अपने वाद एवं काउन्टर वाद के प्रति
सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को उम्बा करना चाह रहे
हैं। आज भी उमय पक्षकारान अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
वादी मय स्वयं वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 मय
प्रतिवादी सं. 3/1 से 3/3 का अनुपस्थित रहने पर वादी का
वाद एवं प्रति. सं. 3/1 से 3/3 का काउन्टर वाद अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
टोकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) नावली